

सं.: 1:05:138: I: सीएस

दिनांक: 07.02.2024

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001
---	---

विषय: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी - जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड का निगमन

महोदया/महोदय,

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है:

क्रम सं.	एस.पी.वी. का नाम	उद्देश्य
1.	जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड	जामनगर क्षेत्र में चरण-I के अंतर्गत लगभग 36 गीगावाट भार की निकासी के लिए गुजरात में नेटवर्क विस्तार स्कीम के विकास हेतु

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारिषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से डेवलपर के चयन हेतु 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' के रूप में नामित किया गया है

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बीपीसी को परियोजना प्रोफाइल तैयार करना होता है और यदि आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। इन गतिविधियों के लिए, एक विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) को निगमित किया जाना आवश्यक है जो पारिषण परियोजनाओं की विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना, भूमि

अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करना और यदि आवश्यक हो तो वन मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।

एसपीवी को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किया जाना है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने पत्र संख्या 15/3/2018-ट्रांस-पीटी (5) दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई- 07112023-249941 दिनांक 07 नवंबर, 2023 को अग्रेषित किया है, जिसमें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपर्युक्त पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को सलाहकार और बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त किया गया है।

तदनुसार, एसपीवी को उपर्युक्त पारेषण योजना को विकसित करने के लिए पीएफसीसीएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसपीवी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता परियोजना का विकास करेगा।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com